निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

133पोकरण विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री शाले मोहम्मद (नाम) कलरों का बास, भागू का गांव, जैसलमेर, जिला जैसलमेर (पता) जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए

स्थान— जैसलमेर तारीख — 11.12.2018

> (अनिल कुमार) रिटर्निंग ऑफिसर 133पोकरण विधानसभा क्षेत्र

(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from the (133) Pokaran Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that --

Mr.SHALE MOHAMMAD (Name)

KALARO KA BASS, BHAGU KA GAON, JAISALMER DIST JAISALMER(Address)sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - JAISALMER

Dated - 11-12-2018

(ANIL KUMAR)

Returning Officer

133 - Pokaran Assembly Constituency (S.D.M. Pokaran)